परियोजना का नाम — जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

[illegible]
[illegible]
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment. effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves. so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) (iii) All cut slopes. unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning. bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains. longitudinal drains/culvers. breast walls. retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

कार्यदायी अभियन्ता
... लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य, रख-रखाव के लिए निर्माण विभाग द्वारा वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

[illegible]	अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खण्ड लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग

(59)

परियोजना का नाम	जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है तथा याचित 0.300 है0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नही है।

सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग रेन्ज

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

Raghav

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवंटित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई।

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी रूद्रप्रयाग रेंज

तहसीलदार रूद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग

जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

Raghav

जिला अधिकारी रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निर धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय परिवारों / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	कोड	जनसंख्या	
निरवाली	00253400	92	
धारकोट	00253500	425	(169 SC,
चोपड़ा,	—	—	
क्वीली	00253400	493	(354 SC,
कुरझण	00253300	360	(183 SC,
		कुल 1370.	

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 0.300 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज़ में दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात 0.600 है0 में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार ग्राम्य विकास विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायगी

अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण--पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायगी।

अभियन्ता प्रा० खण्ड लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा० खण्ड लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा० खण्ड लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो० नि०वि० रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।मि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण--पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.30 है0 वन भूमि का वर्तमान बाजार दर रु0 नब्बे रुपये 5.50 लाख प्रति है0 है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रु0 1.65 लाख होता है तथा वार्षिक लीज रेट लागू नहीं प्रतिशत की दर से लागू नहीं रु0 होता है।

पटवारी

तहसीलदार
रूद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

जिला अधिकारी
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने समबन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 व 09.05.2008 के अनुसार)

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (सिविल/आरक्षित) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र **Open Forest/Dense Forest/ Semi Dense Forest** की श्रेणी में आता है। जिस हेतु एन0पी0वी0 की धनराशि की प्रति है0 दर रूपये ....(..) है। उक्त दर के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि का आगणन रू0 .... (..) किया गया है, जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० विभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर-विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

तहसीलदार
रूद्रप्रयाग

तहसीलदार
रूद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

Ragh...

जिला अधिकारी
रूद्रप्रयाग

मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0न्नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खडे वृक्षों का निस्तारण वन बिभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर ,वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेडों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेडों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेडों की संख्या सयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटटीयां को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर०सी०सी० पिलरो का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन / सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

[illegible]
लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
[illegible]

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि लागू नहीं वर्षो की लीज पर ली जा रही है।

——————लागू नही है। ——————

[illegible] अभियन्ता
[illegible]खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना जल विद्युत परियोजना नही है।

[illegible] अभियन्ता
[illegible] लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

L.H.S.
Shivnandi Sour Side

R.H.S
Niswali-Dhankot Vill. Side

85.00 M. SPAN.

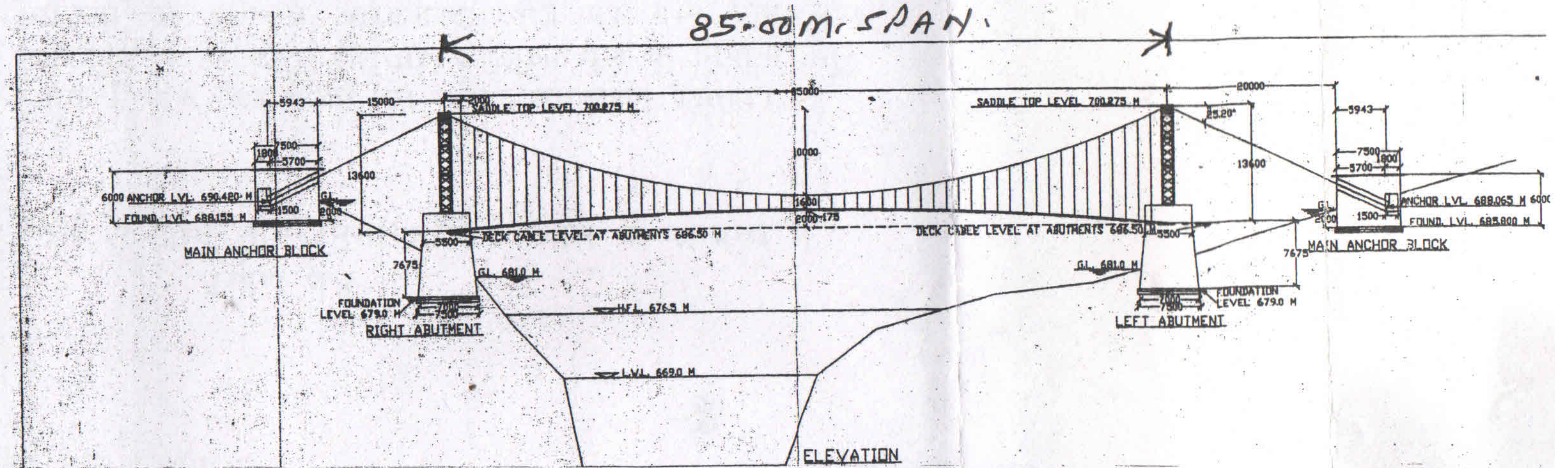

ALAKNANDA RIVER
KM 378, NH 58

LAY-OUT. PLAN-

AAE

A.E

E.E

78 B

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में
प्रमाण पत्र

यह [illegible] पुल के नव निर्माण का कार्य है।

[illegible] अभियन्ता
[illegible] लो0नि0वि0
[illegible]

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

[illegible] क्षेत्राधिकारी
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य से परियोजना स्थल की दूरी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण से उक्त परियोजना की दूरी ...88... किमी0 है।

[illegible] अभियन्ता
[illegible] खण्ड लो0नि0वि0
[illegible]

[illegible] अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

रसौई गैस/कैरोसिन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों को रसोई गैस/कैरोसिन की आपूर्ति की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनाएं

मार्ग / सेतु की लम्बाई	—	85 मीटर
मार्ग में पड़ने वाले ग्राम	—	आबादी
निरवाली	—	92
धारकोट	—	425
~~चोपड़ा~~	—	—
~~कवील्ठी~~	—	493
~~कुरझण~~	—	360
	कुल –	1370

मार्ग / सेतु के प्रारम्भिक बिन्दु के अक्षांश :- 30°18'10.6" उ0

देशान्तर :- 78°51'30.9" पू0

सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग

भू–संरक्षण का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि झूला पुल के निर्माण के दौरान भू–वैज्ञानिक द्वारा बताये गये भू–संरक्षण के उपायों का अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

विस्फोटकों के उपयोग का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :— जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार ~~सड़क~~ सेतु निर्माण के लिए विस्फोटकों का उपयोग किया जायेगा।

विस्फोटकों के उपयोग का स्थान—

<u>आवश्यकता नहीं।</u>

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि पुल के निर्माण में पड़ने वाले आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का पातन ही किया जायेगा। चयनित निर्माण स्थल पर कोई वृक्ष नहीं है, अत: वृक्षों का पातन शून्य है।

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।